मध्यप्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचदश विधान सभा पंचम सत्र

मार्च-अप्रैल, 2020 सत्र

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020

(26 फाल्गुन, शक संवत् 1941)

[खण्ड- 5] [अंक- 1]

मध्यप्रदेश विधान सभा

सोमवार, दिनांक 16 मार्च, 2020

(26 फाल्गुन, शक संवत् 1941)

विधान सभा पूर्वाह्न 11.01 बजे समवेत हुई.

{अध्यक्ष महोदय (श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति (एन.पी.) पीठासीन हुए.}

राष्ट्रगीत ''वन्दे मातरम्'' का समूह गान

अध्यक्ष महोदय -- अब, राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" होगा. सदस्यों से अनुरोध है कि वे कृपया अपने स्थान पर खड़े हो जाएं.

(माननीय सदस्यों द्वारा राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" का समूह गान किया गया.)

अध्यक्ष महोदय -- अब, सदन राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा करेगा.

(सदन द्वारा माननीय राज्यपाल महोदय के आगमन की प्रतीक्षा की गई.)

11.15 बजे **(राज्यपाल महोदय का चल समारोह के साथ सदन में आगमन.)**

डॉ. नरोत्तम मिश्र-- राज्यपाल महोदय, जिस सरकार के अल्पमत में होने का पत्र आपने लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को, विधान सभा के माननीय अध्यक्ष जी को....(व्यवधान)....

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

राज्यपाल महोदय (श्री लाल जी टंडन) --

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

पन्द्रहवीं विधान सभा के इस पाँचवें सत्र में सभी माननीय सदस्यों का स्वागत-वंदन-अभिनंदन।

एक साल पहले मेरी सरकार को सभी वर्गों के लोगों को साथ लेकर उनके जीवन को खुशहाल बनाने और प्रदेश के सर्वांगीण विकास का जनादेश मिला था। पिछले एक साल में सरकार ने जन-अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य करने की कोशिश की है। विरासत में मिले खाली खजाने के साथ सरकार के सामने अपने वचन-पत्र के बिन्दुओं पर अमल और भ्रष्टाचार मुक्त समृद्ध प्रदेश के नवनिर्माण की चुनौती थी। सरकार ने इस चुनौती का सामना करते हुए 365 दिनों में रिकार्ड 365 वचनों की पूर्ति की। सरकार अपने सभी वचनों की पूर्ति के लिये कटिबद्ध है।

मेरी सरकार ने विजन टू डिलीवरी रोडमैप 2020–25 बनाया है। रोडमैप में विभिन्न सामाजिक–आर्थिक समूहों विशेषकर गरीबों और वंचितों की जरूरतों के मुताबिक विकास की प्राथमिकताएँ शामिल की गई हैं। सरकार रोडमैप पर सुविचारित अमल कर वर्ष 2025 तक मध्यप्रदेश को देश के सर्वश्रेष्ठ प्रदेशों में एक बनाने के लिये तेजी से काम कर रही है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश में अवैधानिक गतिविधियों में लिप्त सभी तरह के माफिया के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। भू–माफिया और सहकारिता माफिया के विरुद्ध हमने प्रभावी कार्यवाही की है। मेरी सरकार ने पहली बार नागरिकों की स्वास्थ्य रक्षा के लिये खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली खाद्य पदार्थों के कुचक्र के खिलाफ ''शुद्ध के लिये युद्ध'' अभियान चलाया है मिलावटियों के खिलाफ एफआईआर और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कठोर कार्यवाहियां की जा रही हैं। अमानक दवाइयों के उत्पादकों और विक्रेताओं के खिलाफ भी सख्ती से कार्यवाहियां की गई हैं।

मेरी सरकार ने दिसम्बर, 2019 की स्थिति में पूर्व वर्ष की तुलना में पूँजीगत व्यय रुपये 3800 करोड़ अधिक खर्च किए हैं, जो प्रदेश के विकास का द्योतक है।

कुशल राजकोषीय प्रबंधन के फलस्वरूप भारत सरकार से 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त ऋण प्राप्त करने की अनुमति प्राप्त की गई है।

मेरी सरकार ने परिवार के सदस्यों के पक्ष में निष्पादित पारिवारिक बंटवारा की लिखतों पर स्टाम्प शुल्क ढाई से घटाकर आधा प्रतिशत कर दिया है। महिलाओं की सम्पत्ति में भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मेरी सरकार ने सम्पत्ति में सहस्वामी के रूप में पत्नि तथा पुत्री को शामिल किये जाने पर स्टाम्प शुल्क घटाकर अधिकतम 1000 रुपये एवं पंजीयन शुल्क अधिकतम 100 रुपये तक सीमित किया है इसका लाभ 29 फरवरी, 2020 तक आठ हजार से अधिक महिलाओं ने लिया है।

जनमानस के घर के सपने को साकार करने और रियल इस्टेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रचलित बाजार मूल्य गाईड लाईन की स्थलवार दरों को एक जुलाई 2019 से सम्पूर्ण प्रदेश में 20 प्रतिशत घटाकर लागू किया गया।

मेरी सरकार द्वारा जय किसान फसल ऋण माफी योजना में किसानों के दो लाख रुपये राशि सीमा तक के फसल ऋण माफ करने का कार्य चरणबद्ध रूप से किया जा रहा है।

प्रथम चरण में 20 लाख 22 हजार 731 ऋण खातों पर राशि 7154 करोड़ 36 लाख रुपये के ऋण माफ किये गये। द्वितीय चरण में कुल 7 लाख 7 हजार 480 से अधिक ऋण खातों पर 4 हजार 612 करोड़ रुपये से अधिक की स्वीकृति देने का कार्य जारी हैं।

मेरी सरकार द्वारा फ्लैट भावांतर भुगतान योजना में मक्का फसल हेतु 2 लाख 60 हजार से ज्यादा कृषकों के लिये 514 करोड़ 40 लाख की राशि जारी की गयी है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को वाणिज्यिक बैंकों के समकक्ष बनाये जाने के लिये तकनीकी रूप से सक्षम बनाया जावेगा।

मेरी सरकार द्वारा जिला सहकारी केन्द्रीय बैंकों एवं प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं को आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाये जाने के लिये रुपये 1000 करोड़ अंशपूंजी के रूप में उपलब्ध कराये गये हैं एवं रुपये 2000 करोड़ आगे और उपलब्ध कराये जायेंगे।

मेरी सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के कार्यों को पारदर्शी बनाने की दृष्टि से कम्प्यूटराईजेशन कराया जायेगा।

विगत वर्षों में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग एवं किसानों के प्रयासों से उद्यानिकी फसलों के क्षेत्र विस्तार में आशातीत वृद्धि हुई है। कृषकों की आय दोगुनी करने हेतु तैयार रोडमेप पर कार्यवाही करते हुए उद्यानिकी क्षेत्र का रकबा लगभग 20 लाख 19 हजार हैक्टेयर हो चुका है।

मेरी सरकार ने वर्ष 2019-20 से प्रदेश में मुख्यमंत्री बागवानी तथा खाद्य प्रसंस्करण योजना प्रारम्भ की है। योजना का क्रियान्वयन क्लस्टर में किया जायेगा। शासकीय भूमि पर क्लस्टर विकसित कर पॉली हाऊस/ शेडनेट हाऊस के अंदर फूलों, मसालों की खेती, टिशुकल्चर लैब, हाईटेक नर्सरी का विकास किया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा निराश्रित गोवंश के उचित व्यवस्थापन के लिये 1000 ग्राम पंचायतों में शासकीय गोशालाएँ स्थापित की जा रही हैं। प्रत्येक नई गोशाला के साथ 5 एकड़ के चारागाह भी विकसित किए जा रहे हैं। वर्तमान में पंजीकृत 625 गोशालाओं का विस्तार कर अतिरिक्त 25 हजार गोवंश रखे जाने की व्यवस्था भी की गई है।

मेरी सरकार ने प्रदेश में पूर्व से स्थापित गोशालाओं और नयी बनने वाली गोशाला के चारा-भूसे की अनुदान राशि को 3 रुपये से बढ़ाकर 20 रुपये प्रति गोवंश प्रति दिवस किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा मछली पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्य में उपलब्ध जल क्षेत्र के 99 प्रतिशत में मछलीपालन हो रहा है। प्रदेश में इस वर्ष दिसम्बर तक 141 करोड़ 35 लाख मत्स्य-बीज और सवा लाख टन से अधिक मत्स्योत्पादन किया गया है। मछुआरों की सहकारी समितियों को प्राथमिकता देते हुए बड़े तालाब लीज पर दिए जाएंगे।

प्रदेश में विद्युत उपलब्ध क्षमता 31 दिसम्बर, 2019 की स्थिति में 20 हजार 551 मेगावाट हो गई है। दिनांक 3 फरवरी, 2020 को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक 14 हजार 555 मेगावाट शीर्ष माँग की पूर्ति की गई वित्तीय वर्ष 2020-21 में विद्युत उपलब्ध क्षमता में 2191 मेगावाट की वृद्धि का कार्यक्रम है।

गरीब परिवारों को बिजली व्यय में राहत देने के लिए प्रारंभ **इंदिरा गृह ज्योति योजना** के तहत 150 यूनिट तक की खपत वाले सभी पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट की मासिक खपत पर 100 रुपये प्रतिमाह देयक जारी किया जा रहा है। इस योजना में प्रदेश के एक करोड़ अर्थात् 90 प्रतिशत घरेलू उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं।

किसानों के लिए बिजली दर हाफ करने के निर्णय से **इंदिरा किसान ज्योति योजना** के तहत् 10 हार्सपावर तक के स्थायी कृषि पम्प कनेक्शनों को पूर्व में लिये जा रहे 1400 रुपये प्रति हार्सपावर के स्थान पर वर्ष 2019-20 से आधी दर अर्थात् मात्र 700 रुपये प्रति हार्सपावर प्रतिवर्ष की फ्लैट रेट से विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इससे लगभग 20 लाख 44 हजार कृषि पम्प उपभोक्ता लाभान्वित हो रहे हैं।

मुझे बताते हुए अत्यन्त हर्ष हो रहा है विश्व की बड़ी सौर परियोजनाओं में से एक 750 मेगावॉट की रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना में पूर्ण क्षमता से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है। इस परियोजना से उत्पादित सस्ती बिजली प्रदेश की वितरण कम्पनियों के अलावा दिल्ली मेट्रो को भी दी जा रही है।

मुख्यमंत्री स्थायी कृषि पम्प योजना में बदलाव लाकर मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री सोलर पम्प योजना पर ध्यान बढ़ाया है। आगामी वर्षों में 2 लाख सोलर पम्प प्रदाय करने का लक्ष्य रखा गया है। वर्ष 2020-21 तक प्रदेश के किसानों को सिंचाई की सुविधाओं में बढ़ोत्तरी के लिये 75 हजार नग सोलर पम्प स्थापित किये जायेंगे।

मेरी सरकार का लक्ष्य आगामी 5 वर्ष में 65 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाने का है। जल संसाधन एवं नर्मदा घाटी विकास विभाग द्वारा अभी तक 40 लाख हैक्टेयर सैंच्य क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित कर ली गई है।

इस वर्ष दिसम्बर तक 300 करोड़ रुपये से अधिक की लागत की 56 लघु सिंचाई योजनाओं की स्वीकृति दी गई। इनके पूर्ण होने पर करीब 18 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं की वृद्धि होगी। विभाग द्वारा 19 हजार हैक्टेयर क्षमता की 55 लघु सिंचाई योजनाएँ पूर्ण की गई।

वर्तमान में 44 वृहद्, 60 मध्यम एवं 338 लघु सिंचाई योजनाओं का निर्माण शीघ्रता से किया जा रहा है। इनके पूर्ण होने पर 27 लाख 31 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।

बेहतर भूमि और जल प्रबंधन तथा सैंच्य क्षेत्रों में अधिकतम सिंचाई क्षमता का विकास एवं उपयोग कर कृषि उत्पादन में वृद्धि के उद्देश्य से 7 लाख 62 हजार क्षेत्र में वाटर कोर्स एवं फील्ड चैनल का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। नहरों में लाइनिंग का कार्य भी प्राथमिकता से कराया जा रहा है।

मेरी सरकार ने परियोजनाओं की खोई हुए जलभराव क्षमता को पुन: प्राप्त करने की नीति बनाई है। इसके अंतर्गत वर्तमान में 4 वृहद् जलाशयों से सिल्ट निकाल कर उसमें से मिट्टी और रेत को अलग कर मिट्टी कृषकों को दी जायेगी।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश को आवंटित 18.25 एमएएफ नर्मदा जल का पूर्ण उपयोग करने हेतु वर्तमान सिंचाई क्षमता 6 लाख हैक्टेयर को बढ़ाकर 23 लाख हैक्टेयर किये जाने के लिये सिंचाई परियोजनाओं का क्रियान्वयन किया जायेगा।

मेरी सरकार प्रदेश में सड़क नेटवर्क के वृहद् विस्तार का प्रयास कर रही है। वर्ष 2019-20 में दिसम्बर तक 2875 कि.मी. लम्बाई की सड़कों का निर्माण और उन्नयन तथा 2095 कि.मी. सड़कों का नवीनीकरण किया गया है। सड़कों के निर्माण में नई तकनीकी का प्रयोग किया जा रहा है। इस अवधि में 29 वृहद् पुल और आर.ओ.बी. भी बनाये गये हैं।

मेरी सरकार द्वारा आगामी 5 वर्ष में 5540 करोड़ के व्यय से प्रदेश के प्रमुख शहरों में 17 एफ.ओ.बी., 400 पुल और 55 आर.ओ.बी. का निर्माण किया जायेगा।

एडीबी परियोजना के छठवें चरण में 700 मिलियन डॉलर ऋण से लगभग 1500 कि.मी. लम्बाई के राज्य मार्ग तथा मुख्य जिला मार्गों के उन्नयन के लिये निविदाएँ आमंत्रित की गई हैं।

मेरी सरकार द्वारा ग्राम सभाओं में महिलाओं की विशेष भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को ''सबला महिला सभा'' और 19 नवम्बर को ''प्रियदर्शनी महिला सभा'' का आयोजन किया जा रहा है।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) में बेसलाइन सर्वे में छूट गये 3 लाख 20 हजार शौचालयों का इस वर्ष निर्माण कराया गया है। ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन का कार्य इस वर्ष 289 ग्राम पंचायतों में प्रारम्भ किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा ''महात्मा गाँधी ग्राम स्वराज एवं विकास योजना'' मनरेगा में पक्के निर्माण कार्यों में 50 प्रतिशत राशि सीसी सड़क पर व्यय करने की अनिवार्यता समाप्त कर कुल व्यय सीमा 75 प्रतिशत की गई है।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में इस वित्त वर्ष में 2211 कि.मी. लम्बाई की सड़कों और 154 पुलों का निर्माण किया गया है। पीएमजीएसवाय-3 में 12 हजार 362 कि.मी. मार्गों का आवंटन प्राप्त हुआ है।

इस वित्त वर्ष में 4000 कि.मी. मार्गों की स्वीकृति प्राप्त करने का लक्ष्य है।

प्रदेश के युवाओं को मुख्यमंत्री युवा स्वाभिमान योजना के अंतर्गत व्यावसायिक कौशल-प्रशिक्षण प्रदान करते हुए भविष्य के लिये क्षमता संवर्धन तथा जीवन-यापन की तात्कालिक आवश्यकता हेतु एक वर्ष में 100 दिवस का अस्थाई रोजगार एवं समानुपातिक स्टाइपेण्ड प्रदान किया जा रहा है। योजना में 79 हजार से ज्यादा हितग्राहियों द्वारा ऑन बोर्डिंग के बाद वर्तमान में यह योजना 166 नगरीय निकायों में संचालित है। इन निकायों में कुल 38 ट्रेडों में 14 हजार 845 युवाओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो गया है और 14 हजार 879 युवा प्रशिक्षणरत हैं। अब तक कुल 18 हजार 151 पात्र हितग्राहियों को 14 करोड़ 60 लाख रुपये की स्टाइपेंड राशि वितरित की जा चुकी है।

इन्दौर में मुख्यमंत्री स्व-रोजगार (ई-सवारी) योजना में महिला सशक्तिकरण के लिए महिलाओं को ई-रिक्शा वितरण किया गया है, जिसके अच्छे परिणाम मिल रहे हैं इस योजना का विस्तार अन्य जिलों में भी प्रस्तावित है। योजना में बैंकों के माध्यम से ऋण, पंजीयन शुल्क और परमिट टैक्स में छूट तथा ई-रिक्शा चालन का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

मध्यप्रदेश ने राष्ट्रीय स्तर पर शहरी स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तम प्रदर्शन किया था। प्रदेश का इंदौर शहर देश में प्रथम और उज्जैन चौथे स्थान पर तथा देश के 100 सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहरों में प्रदेश के 20 शहर शामिल थे। इस वर्ष प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छता के नये कीर्तिमान स्थापित किये गये हैं। इस वर्ष 234 शहरों ने ओडीएफ प्लस और 107 शहरों ने ओडीएफ डबल प्लस का मानक प्रमाणीकरण प्राप्त कर लिया है जो विगत वर्ष की तुलना में लगभग 400 प्रतिशत से अधिक प्रदर्शन है।

प्रदेश के सभी शहरों में शुद्ध पेयजल का नियमित प्रदाय सुनिश्चित करना मेरी सरकार की प्राथमिकता है। प्रदेश के सभी 378 नगरीय निकायों में अमृत अथवा मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कम्पनी द्वारा जलप्रदाय योजना का कार्य प्रस्तावित है। इसमें से एडीबी सहायतित एजेंसी के माध्यम से फेज-1 में 69 निकाय तथा फेज-2 में 59 निकाय की जल प्रदाय योजना का कार्य क्रियान्वित अथवा प्रस्तावित है। विश्व बैंक सहायतित एजेंसी के माध्यम से 5 निकायों में जल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश के भूमिहीन परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से "मुख्यमंत्री आवास मिशन (शहरी)" चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास मिशन का अनुसरण प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) से करते हुए प्रदेश के सभी 378 निकायों को सम्मिलित कर लिया गया है। सीएलएसएस घटक में भी 2 लाख 75 हजार हितग्राहियों को मिशन अवधि मार्च 2022 तक लाभ प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है।

भोपाल का 25 वर्षों बाद मास्टर प्लान को अंतिम रूप देने हेतु प्रारूप मास्टर प्लान प्रकाशित किया गया है और इसी वर्ष इन्दौर का मास्टर प्लान प्रकाशित कर दिया जाएगा।

प्रदेश के नगरों में सिटी बसों की सेवा नगरीय निकायों के माध्यम से की जायेंगी, प्रथम चरण में 17 निकायों में 503 सिटी बसों का संचालन किया जायेगा, इनमें से 255 बसें इंट्रासिटी होंगी।

प्रदेश में इलेक्ट्रिक व्हीकल पालिसी अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों का संचालन नगरीय निकाय द्वारा गठित परिवहन कम्पनी के माध्यम से किया जायेगा। इसमें लगभग 340 इलेक्ट्रिक बसें संचालित किया जाना प्रस्तावित है।

इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग हेतु चार्जिंग अधोसंरचना का निर्माण एवं सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक वाहनों को रजिस्ट्रेशन, पार्किंग शुल्क, टोल टैक्स एवं रोड टैक्स छूट प्रदान की गई है।

भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना मेरी सरकार का लक्ष्य है। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत दो कारिडोरों, जिनकी कुल लम्बाई 27.87 कि. मी. है एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना के अंतर्गत 31.55 कि. मी. लम्बाई के रिंग कॉरिडोर पर कार्य प्रारंभ कर दिया गया है।

मेरी सरकार अनुसूचित जातियों के कल्याण और उनके सर्वांगीण विकास के लिये कृत संकल्पित है। अनुसूचित जातियों की संवैधानिक सुरक्षा भी सरकार के प्राथमिक दायित्वों में शामिल है।

संभागीय ज्ञानोदय विद्यालयों के कक्षा 10वीं के 94.18 प्रतिशत तथा कक्षा 12वीं के 91 प्रतिशत विद्यार्थी प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुए हैं। परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्रों से प्रशिक्षित 20 अभ्यर्थी का चयन विभिन्न सेवाओं में हुआ है। समग्र छात्रवृत्ति पोर्टल से 18 लाख 53 हजार विद्यार्थियों को लगभग 235 करोड़ रुपये की छात्रवृत्तियाँ वितरित की गई हैं। युवाओं के आर्थिक उत्थान और कौशल उन्नयन की योजनाओं से इस वर्ष 13 हजार 267 युवा लाभान्वित हुए हैं।

मेरी सरकार द्वारा मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम से ऋण लेने वाले पात्र अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के 31 दिसम्बर 2018 तक की स्थिति में बकाया ऋण की एक लाख तक की सीमा में कुल 45 करोड़ की ऋण राशि माफ कर दी गई है।

मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों को जन्म-मृत्यु जैसे जरूरी संस्कारों के निर्वहन के लिये ''मदद'' योजना आरम्भ की गई है। योजना अंतर्गत जन्म कार्यक्रम के लिये प्रति जन्म 50 किलो गेहूँ या चावल और मृत्यु पर 100 किलो गेहूँ या चावल निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। भोजन बनाने के लिये 89 आदिवासी विकासखण्डों के 12 हजार 245 ग्रामों में बर्तन खरीदी के लिये प्रति ग्राम पंचायत 25 हजार की राशि के मान से 30 करोड़ से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है।

वर्ष 2020-21 से एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिये प्रति विद्यार्थी देय राशि 31 हजार 500 को बढ़ाकर 47 हजार 860 रुपये की गई है। बालिकाओं की शिक्षा के लिये 1785 करोड़ की लागत से 65 कन्या शिक्षा परिसर भवन बनाये जा रहे हैं।

वन अधिकार अधिनियम के निरस्त दावों का पुनः परीक्षण और लंबित दावों के निराकरण के लिये वन मित्र पोर्टल शुरू किया गया है। पोर्टल पर अब तक 33 हजार 19 ग्राम वन अधिकार समितियों को और 3 लाख 60 हजार निरस्त दावों में से 2 लाख 78 हजार दावों को पुनः परीक्षण के लिये दर्ज किया जा चुका है। दावा प्रकरणों का 31 मार्च, 2020 तक अंतिम निराकरण का लक्ष्य है। वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत समस्त वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने का प्रयास किया जाएगा।

मेरी सरकार पिछड़े वर्गों के सर्वांगीण विकास के लिये संकल्पित है। सरकारी नौकरियों में इस वर्ग के आरक्षण को 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत कर दिया गया है। अब इन्टरव्यू और पदोन्नति समितियों में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रतिनिधि को रखना जरूरी बनाया गया है।

विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्द्धघुमक्कड़ जनजातियों के बेरोजगार युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण योजना अंतर्गत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये चालू वित्त वर्ष 2019-20 में 600 विद्यार्थियों को कोचिंग का लक्ष्य रखा गया है।

प्रदेश में विदिशा, रतलाम, शिवपुरी, दतिया, छिंदवाड़ा, शहडोल एवं खण्डवा में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित किये गये हैं। नये 7 चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना के साथ प्रदेश में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल में रीजनल स्पाईनल इंजुरी सेंटर की स्थापना भारत सरकार के सहयोग से राशि रुपये 2 करोड़ 82 लाख का योजनाबद्ध तरीके से क्रियान्वयन किया जा रहा है। चिकित्सा महाविद्यालय रीवा, ग्वालियर, इंदौर में वायरोलॉजी लैब की स्थापना संबंधी कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। इन्दौर में सुपरस्पेशलिटी अस्पताल निर्माणाधीन है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के हर नागरिक को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से जिला चिकित्सालय तक गुणवत्तायुक्त निःशुल्क जाँच उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। प्रदेश के 20 जिलों के 89 विकासखण्डों में चिकित्सकों की पूर्ति के लिये मुख्यमंत्री सुषेण प्रोत्साहन योजना लागू की गई है।

चिकित्सा अधिकारियों के रिक्त 1397 पदों और दंत चिकित्सकों, सहायक अस्पताल प्रबंधक के पदों की पूर्ति लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जा रही है।

सघन मिशन इंद्रधनुष में शामिल 43 जिले के अतिरिक्त शेष बचे 8 जिलों में पुनः ''सघन टीकाकरण सुदृढ़ीकरण पहल'' अभियान तीन चरणों में संचालित किया जा रहा है। स्कूली विद्यार्थियों को अपने घर अथवा आस-पड़ोस के बच्चों का टीकाकरण कराने पर ''आईएमआई राजदूत/चैम्पियन'' का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा 51 जिला चिकित्सालयों तथा 32 सिविल अस्पतालों में मॉडल पैथॉलाजी लेब की सुविधा आऊटसोर्स के माध्यम से उपलब्ध कराई जाने की कार्ययोजना है।

इस वर्ष 11 जिलों भोपाल, उज्जैन, सागर, सतना, शहडोल, मंदसौर, बड़वानी, रतलाम, भिण्ड, दमोह और जबलपुर में ऑब्स्ट्रेटिक आईसीयू स्थापित किये गये हैं।

मेरी सरकार द्वारा चिन्हित पर्यटन केन्द्रों पर पंचकर्म सहित विशेष आयुष चिकित्सा केन्द्र प्रारम्भ किये जायेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में 100 आयुर्वेद औषधालयों को वैलनेस केन्द्र के रूप में विकसित कर योग पंचकर्म एवं पैथोलॉजी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी। ग्रामीण क्षेत्रों के आयुष चिकित्सा केन्द्रों पर हर्बल गार्डन विकसित किये जायेंगे। एलोपैथी जिला चिकित्सालयों में 22 आयुष विंग प्रारंभ किये जायेंगे।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के समस्त जिलों में लागू की गई है। योजना में 15 लाख 33 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाकर 606 करोड़ का व्यय किया गया है।

लाडली लक्ष्मी योजना में अब तक 34 लाख 40 हजार बालिकाओं को लाभान्वित किया जाकर रुपये 7828 करोड़ 94 लाख का व्यय किया गया है। इस वित्त वर्ष में कक्षा छठवीं तथा नवीं में आने वाली 1 लाख 41 हजार 636 बालिकाओं को छात्रवृत्ति प्रदान की जा चुकी है।

मेरी सरकार द्वारा भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ित परिवारों के चिकित्सा, आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय पुनर्वास पर इस वर्ष जनवरी तक 79 करोड़ की राशि खर्च की गई है।

मेरी सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कौशल संवर्धन योजना में प्रदेश में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप से 14 जिलों में मेगा स्किल ट्रेनिंग सेंटर निर्मित/संचालित किये जायेंगे। उच्च तकनीक के कौशल विकास के लिये सिंगापुर आई.टी.ई. की मदद से ग्लोबल स्किल पार्क की स्थापना का कार्य किया जा रहा है जिससे प्रतिवर्ष लगभग दस हजार युवाओं को आधुनिक विधाओं में कौशल प्रशिक्षण मिलेगा।

उच्च शिक्षा हेतु रूसा चरण-एक में इस वर्ष पंडित एस. एन. शुक्ला विश्वविद्यालय शहडोल, आदर्श कन्या महाविद्यालय श्योपुर और आदर्श महाविद्यालय झाबुआ में पढ़ाई शुरु हुई। रूसा भाग-दो में 8 नवीन आदर्श महाविद्यालय तथा राजगढ़ में एक व्यावसायिक महाविद्यालय की स्थापना की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

मेरी सरकार ने उच्च शिक्षा शिक्षकों की कमी को दूर करने के उद्देश्य से इस वर्ष 3148 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की है।

मेरी सरकार द्वारा स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिये उच्च माध्यमिक शिक्षक के 15 हजार एवं माध्यमिक शिक्षक के 5670 पदों पर भर्ती की जा रही है।

आगामी शैक्षणिक सत्र में 1500 स्कूलों में पायलट रूप में स्टीम एज्युकेशन मॉड्यूल लागू किया जायेगा। मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य होगा, जहाँ सरकारी स्कूलों में यह मॉड्यूल लागू किया जायेगा।

इंदौर में मैग्नीफिसेंट एम. पी. इन्वेस्टर्स समिट का सफल आयोजन कर निवेशकों के लिये प्रदेश में उद्योगों के लिये बेहतर वातावरण की जानकारी दी गई है। इसके परिणामस्वरूप उद्योगपतियों की म. प्र. में रुचि बढ़ी जो दुबई, डावोस, दिल्ली और मुम्बई में हुए सम्मेलनों में परिलक्षित हुई।

निवेश परियोजनाओं को समय-सीमा में पूरा करने के लिये "म. प्र. समयबद्ध निर्वाधन अधिनियम" बनाया जा रहा है। इस अधिनियम के जरिये भूमि आवंटन, बिजली कनेक्शन, फैक्ट्री लायसेंस, भवन अनुज्ञा, बायलर स्थापना, प्रदूषण नियंत्रण अनुमतियाँ/स्वीकृतियाँ/सम्मतियाँ/ कुल 40 सेवायें निश्चित समयावधि, जो एक से 15 दिवस है, में ऑनलाईन प्रदान किये जाने का प्रावधान किया गया है। समय पर स्वीकृति न मिलने पर स्वमेव यानि डीम्ड/स्वीकृति मिल जाएगी।

उद्योगों को सुगमता से भूमि की उपलब्धता के उद्देश्य से नये औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम-2019 बनाये गये हैं। औद्योगिक क्षेत्र में पट्टाग्रहिता वृहद इकाई को 3 प्रतिशत अधिकतम पांच एकड़ भूमि पर श्रमिक/तकनीकी स्टॉफ के निवास हेतु भवन निर्मित करने का प्रावधान किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा नई लैंड पूलिंग पॉलिसी लागू की गई है। इसके अंतर्गत प्रथम चरण में पीथमपुर में 600 हैक्टेयर भूमि प्राप्त कर 600 करोड़ की लागत से नया औद्योगिक क्षेत्र आगामी तीन वर्ष में विकसित किया जायेगा। पीथमपुर में ही स्मार्ट इण्डस्ट्रियल पार्क और विक्रमपुरी औद्योगिक क्षेत्र जिला उज्जैन में उद्योगों को भूमि आवंटन प्रारम्भ हो गया है।

मेरी सरकार प्रदेश में उत्पादित माल के परिवहन में सुगमता के लिये जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, मुम्बई को इंदौर से रेलमार्ग से जोड़ने में महू-मनवाड रेलवे लाईन के निर्माण में सहभागिता कर रही है।

बाबई जिला होशंगाबाद में 158 करोड़ की लागत से फार्मा/केमिकल पार्क स्थापित किया जा रहा है। रंगवासा जिला इन्दौर में कन्फेक्शनरी मैन्युफेक्चरिंग क्लस्टर का विकास किया जा रहा है।

मेरी सरकार के प्रयासों से एक साल में वृहद श्रेणी की 64 उद्योग इकाईयाँ स्थापित हुईं हैं। रुपये 7 हजार 188 करोड़ के पूंजी निवेश की इन इकाइयों में 22 हजार लोगों को रोजगार मिला है।

मेरी सरकार द्वारा लघु उद्योग संघों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं एवं सुझावों के फीड बैक के आधार पर नई एमएसएमई विकास नीति 2019 एवं नई स्टार्टअप नीति 2019 लाई गई है।

भारत सरकार की क्लस्टर विकास योजना का अधिकाधिक लाभ लेने के लिये औद्योगिक अधोसंरचना विकास के 11 प्रस्ताव तैयार किये गये हैं।

मेरी सरकार ने प्रदेश में हाथकरघा एवं हस्तशिल्प उत्पादों के विपणन को बढ़ावा देने के लिये एकता मॉल केवडिया (गुजरात) में मृगनयनी का नया शोरूम एवं हैदराबाद में मृगनयनी का नया काउण्टर प्रारम्भ किया है।

मेरी सरकार ने राज्य में पूर्व में संबल योजना में पंजीकृत 2 करोड़ 30 लाख असंगठित श्रमिकों का भौतिक सत्यापन करवाकर 77 लाख 89 हजार अपात्र श्रमिकों को योजना से विलोपित कर सूची से हटाने का निर्णय लिया है।

सरकार ने निर्माण श्रमिकों एवं संगठित क्षेत्र के श्रमिकों की संतानों के विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना 2019 प्रारम्भ की है। औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में 100 बिस्तरों के चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति जारी कर दी गई है।

मेरी सरकार द्वारा कुशल भूमि प्रबंधन के लिये राजस्व विभाग की कार्य-प्रणाली में सुधार के साथ आधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जा रहा है। भूमि का ऑनलाइन डायवर्सन, ऑनलाइन बैंक बंधक मॉड्यूल, चालू कम्प्यूटरीकृत भू-अभिलेखों की नकलों का वेब पोर्टल से सीधा प्रदाय, किसान एप के जरिये किसानों द्वारा सीधे फसलों की प्रविष्टि और उपार्जन हेतु पंजीयन तथा राजस्व न्यायालयों में ऑनलाइन प्रकरण पंजीयन प्रारम्भ किया गया है।

सरकार ने राजस्व न्यायालयों के संचालन को सरल एवं नागरिक उपयोगी बनाने हेतु राजस्व न्यायालय प्रक्रिया नियम-2019 बनाये हैं। कृषकों की भूमि की सही-सही माप के उद्‌देश्य से आगामी वर्ष में सीओआरएस (CORS) आधारित सीमांकन की प्रक्रिया प्रारम्भ होगी।

यह प्रसन्नता का विषय है कि प्रदेश ने 526 बाघों के साथ पुनः टाइगर स्टेट का दर्जा प्राप्त कर लिया है। प्रदेश में बाघों की उपस्थिति वाले वन क्षेत्रों की संख्या में भी अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। प्रबंधकीय दक्षता में प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व-पेंच, कान्हा और सतपुड़ा देश में प्रथम तीन स्थान पर हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, होशंगाबाद को ''मोस्ट टूरिस्ट फ्रेंडली नेशनल पार्क सेंक्च्यूरी अवार्ड'' मिला है।

प्रदेश में वन समितियों के माध्यम से 78 गोशालाएँ बनायी जा रही हैं, जिनमें लगभग 8000 गोवंश को आश्रय उपलब्ध हो सकेगा।

मेरी सरकार द्वारा तेन्दूपत्ता संग्रहण मजदूरी की दर 2000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति मानक बोरा की गई है। संग्रहित तेन्दूपत्ता की मजदूरी का नगद भुगतान सुनिश्चित किया गया है।

इस वर्ष 18 लाख से ज्यादा मानक बोरा तेन्दूपत्ता संग्रहित हुआ है। पान बरेजा परिवारों को निस्तार नीति में शामिल किया गया है।

मेरी सरकार प्रदेश की खनिज सम्पदा का संतुलित दोहन कर रही है। मेरी सरकार ने नई रेत नीति लागू की है। नयी नीति से 36 जिलों की रेत खदानों की ई-नीलामी से 1200 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

प्रदेश के छतरपुर जिले के बंदर डायमण्ड ब्लॉक की नीलामी हो गई है। इस ब्लॉक से सरकार को पट्टावधि में 23 हजार 632 करोड़ का राजस्व प्राप्त होगा।

मेरी सरकार प्रदेश में सभी तरह के प्रदूषण की रोकथाम और पर्यावरण संरक्षण के बहुआयामी प्रयास कर रही है। उद्योगों से उत्पन्न होने वाले हजाईस वेस्ट डिस्पोजल की जीपीएस आधारित ट्रेकिंग का सॉफ्टवेयर लागू किया गया है। शासकीय कार्यालयों में होने वाले सार्वजनिक कार्यक्रमों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। प्लास्टिक कैरी बैग के उपयोग को प्रतिबंधित करने के लिये नगरीय निकायों के समन्वय से 991 जन-जागृति कार्यक्रम आयोजित किये गये।

मेरी सरकार ने प्रदेश में कुल साढ़े 5 लाख हैण्डपम्प एवं 16 हजार से अधिक नल-जल प्रदाय योजनाओं से पेयजल की व्यवस्था की है। वर्तमान में एक लाख 12 हजार बसाहटों में न्यूनतम 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मान से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

वर्ष 2020-21 में 3,444 करोड़ रुपये से ज्यादा की लागत की 20 समूह जलप्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन कर 2,659 ग्रामों की 27 लाख 50 हजार जनसंख्या को घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराया जायेगा।

मेरी सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री की प्राप्ति आसान बनाने के लिये इस वर्ष 564 ग्राम पंचायतों में नवीन दुकानों का आवंटन किया गया है।

इंदौर जिले में उचित मूल्य दुकानों के निरीक्षण की ऑनलाइन व्यवस्था मोबाइल एप से प्रारम्भ की गई है। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में लागू करने की कार्यवाही प्रचलित है।

मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ-दर्शन योजना में इस वित्त वर्ष में 23 हजार से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थों के दर्शन कराये हैं। शासन संधारित मंदिरों के पुजारियों को भी पौने 16 करोड़ से ज्यादा की मानदेय राशि दी गई है।

मेरी सरकार ने वचन पत्र के अनुसार मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना की राशि 28 हजार से बढ़ाकर 51 हजार रुपये प्रति कन्या कर दी है। आदिवासियों सामूहिक हो या एकल विवाह, कन्या विवाह सहायता की राशि दिये जाने का प्रावधान कर योजना में आय सीमा का बंधन समाप्त कर दिया गया है।

मेरी सरकार ने वृद्धजनों, दिव्यांगों और कल्याणी महिलाओं की समस्या को समझते हुए उनकी पेंशन राशि रुपये 300 प्रतिमाह से दोगुना रुपये 600 प्रतिमाह किया है।

प्रदेश के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खेल अधोसंरचना, आधुनिक एवं वैज्ञानिक पद्धति से प्रशिक्षण, खेल उपकरण, विदेश में प्रशिक्षण आदि सुविधाएँ सुलभ करायी जा रही हैं। वर्ष 2019-20 में प्रदेश की खेल अकादमियों के खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय स्तर पर 373 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 55 पदक अर्जित किये हैं।

सरकार ने खेलों के लोक व्यापीकरण के उद्देश्य से वर्ष 2019-20 से प्रदेश में गुरू नानकदेव जी प्रांतीय ओलम्पिक खेलों का विकासखण्ड से राज्य स्तर तक आयोजन प्रारम्भ किया है।

मेरी सरकार ने प्रदेश को समग्र पर्यटन अनुभव का गंतव्य बनाने और पर्यटन से रोजगार तथा आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से प्रदेश की पर्यटन नीति 2016 संशोधित 2019 लागू की है। नयी नीति में दूरस्थ क्षेत्रों में पर्यटन परियोजनाओं की स्थापना और वन क्षेत्रों में वाइल्ड लाइफ रिसॉर्ट स्थापना पर विशेष अनुदान के प्रावधान किये गये हैं।

मेरी सरकार के प्रयासों से इस वर्ष अब तक नवीन 15 पर्यटन परियोजनाओं में राशि 206 करोड़ का निवेश हुआ है तथा लगभग 2000 लोगों को रोजगार मिला है।

हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये 7 हेरिटेज बिल्डिंग्स का चयन कर निजी निवेश से विकास हेतु पर्यटन विभाग को सौंपा गया है। हेरिटेज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिये मार्च 2020 में ओरछा महोत्सव का आयोजन किया गया है। रामायण सर्किट में चित्रकूट क्षेत्र एवं अमरकंटक के विकास की कार्यवाही प्रचलन में है।

लैंण्ड बैंक से 14 लैंण्ड पार्सल्स में पर्यटन परियोजना की स्थापना हेतु निवेशकों के चयन की कार्रवाई की गई है। लगभग 300 करोड़ के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट की स्थापना हेतु साँची के पास निनोद में लगभग 175 एकड़ भूमि के विकास का कार्य लिया गया है।

मेरी सरकार प्रदेश की विविधवर्णी कला-संस्कृति के विविध कलारूपों को संरक्षित-संवर्धित कर रही है। इस वर्ष प्रदेश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 150वाँ जन्म वर्ष, गुरू नानकदेव जी का 550वाँ प्रकाश वर्ष, पं. जवाहरलाल नेहरू की 130वीं जयन्ती समारोहपूर्वक मनायी गयी। सरकार ने तीन साल के लंबित शिखर सम्मान प्रदाय कर दिये हैं। तानसेन समारोह की तर्ज पर बैजू बावरा समारोह का आयोजन शुरू किया गया है।

आदिवासी कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिये भी इस वर्ष से प्रदेश स्तरीय सांस्कृतिक उत्सव मनाया जाना प्रारंभ किया गया है। आदिवासी और दलित नवलेखकों के लिये एक लाख रुपये के शेख गुलाब और संत रविदास पुरस्कार स्थापित किये गये है।

नये गायकों के लिये किशोर कुमार स्मृति पुरस्कार शुरू किया गया है। साहित्य के क्षेत्र मे डॉ. शिवमंगल सिंह सुमन, दुष्यंत कुमार, बालकवि बैरागी, इकबाल, विट्ठल भाई पटेल स्मृति 51-51 हजार रुपये के पुरस्कार स्थापित किये गये हैं।

मेरी सरकार प्रदेश के शासकीय विभागों में नयी कार्य-संस्कृति बना रही है। इस उद्देश्य से सरकार ने अनेक कदम उठाये हैं। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्गों के बैकलॉग/कैरीफारवर्ड पदों व नि:शक्तजनों के आरक्षित रिक्त पदों की पूर्ति के विशेष भर्ती अभियान की समय-सीमा 30 जून, 2020 तक बढ़ा दी गई है। राज्य में अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण का प्रतिशत 14 से बढ़ाकर 27 प्रतिशत किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिये भी 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

राज्य शासन की सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों पर नियुक्ति के लिये निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष कर दी गई है। तृतीय श्रेणी के समकक्ष पदों पर कार्यरत दैनिक वेतनभोगी/स्थाई कर्मियों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष की गई है।

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों पर 40 वर्ष के अतिरिक्त एक बार के लिये एक वर्ष की वृद्धि कर अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष की गई। कर्मचारियों की सालों से लंबित समस्याओं के निराकरण के लिये कर्मचारी आयोग का गठन किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा नागरिकों की समस्या शीघ्र सुलझाने और विभिन्न नागरिक सेवाएं समय पर प्रदान करने हेतु ''आपकी सरकार आपके द्वार'' कार्यक्रम चलाया है। एम. पी. समाधान, समाधान-ऑनलाइन एवं लोक कल्याण शिविर का भी सी.एम. हेल्पलाईन के साथ एकीकरण कर एकीकृत शिकायत प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है। मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदाय की गारंटी अधिनियम 2010 का और अधिक प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिये ''जन अधिकार'' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

मेरी सरकार ने प्रदेश में पहली बार एक अनोखी पहल इन्दौर शहर से ''द्वार सेवा प्रदाय योजना'' प्रारंभ की है। इसमें नागरिकों द्वारा चाही जा रही सुविधाएं उनके घर तक पहुंचा कर दी जा रही हैं। शीघ्र ही यह सुविधा भोपाल, जबलपुर एवं ग्वालियर में भी प्रारंभ की जायेगी।

प्रदेश के नागरिकों को दी जा रही सेवाओं को और बेहतर तरीके से दिये जाने के लिये मेपआईटी द्वारा नेसकॉम के साथ एआई, ब्लॉक चेन, डाटा एनालेटिक्स, आईओटी जैसी नवीन तकनीकों का ई-गवर्नेंस में उपयोग के लिये एमओयू किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिये प्रदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। इन्दौर में सिहासा आईटी पार्क में आईटी कंपनियों के लिये 64 हजार वर्गफीट में ''रेडी टू यूज स्पेस'' विकसित किया गया है।

मेरी सरकार द्वारा भोपाल में साईंस सिटी की स्थापना के लिये कार्य-योजना तैयार की जा रही है। खगोल विज्ञान के प्रचार-प्रसार हेतु जबलपुर, छिन्दवाड़ा एवं उज्जैन में उपक्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना की जा रही है।

मेरी सरकार नागरिकों को सस्ता, सुलभ और शीघ्र न्याय दिलाने के लिये दृढ़प्रतिज्ञ है। इस वर्ष उच्च न्यायालय की स्थापना में 37 नये पद सृजित किये गये हैं। व्यवहार न्यायाधीश स्तर के 7 और जिला न्यायाधीश स्तर के 5 वाणिज्यिक न्यायालयों तथा 5 अपील न्यायालयों का गठन किया गया है। ऑनलाईन केस फाइलिंग प्रक्रिया भी शुरू की गई जिसे आगामी वर्ष में सभी न्यायालयों में लागू किया जायेगा। आगामी वर्ष से सभी तरह के शुल्क को ऑनलाईन प्राप्त करने का माड्यूल भी लागू किया जायेगा। 154 सिविल जज-2 और 3 अपर जिला न्यायाधीश नियुक्त किये गये हैं।

मेरी सरकार ने संसदीय व्यवस्था पर शोध और अनुसंधान को बढावा देने के लिये उत्कृष्ट शोध पुरस्कार योजना प्रारंभ की है। योजना में दो उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को प्रतिवर्ष पुरस्कृत किया जायेगा।

मेरी सरकार ने विधानसभा के माननीय सदस्यों तथा उनके परिवार के आश्रित सदस्यों की आस्तियों तथा दायित्वों का विवरण प्रतिवर्ष विधानसभा में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार द्वारा प्रदेश के विकास में उत्कृष्ट/ उल्लेखनीय योगदान देने वाले प्रवासी भारतीयों को सम्मानित करने के लिये मध्यप्रदेश रत्न सम्मान की स्थापना की गई है।

मेरी सरकार प्रदेश में साम्प्रदायिक सौहार्द एवं सामाजिक सद्भाव का वातावरण सुनिश्चित करने के लिये दृढ़ संकल्पित है। प्रदेश में संगठित अपराधों, मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब तथा जुआ सट्टा जैसी सभी अवांछनीय गतिविधियों की रोकथाम के लिये गंभीर एवं सतत प्रयास किये जा रहे हैं। भारत सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2019 में देश के दस सर्वश्रेष्ठ थानों में प्रदेश के जिला बुरहानपुर अजाक थाना एवं जिला श्योपुर के बरगवां को उत्कृष्ट थाना के रूप में चुना गया है।

मेरी सरकार द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रकरणों में दोषसिद्धि की दर में वृद्धि के लिये पीड़ितों एवं साक्षियों को भयमुक्त वातावरण तथा विधिक प्रोत्साहन एवं संरक्षण उपलब्ध कराने के लिये पीड़ित एवं साक्षी संरक्षण तथा सहायता प्रोग्राम प्रारंभ किया गया है।

मेरी सरकार की महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध घटित हो रहे अपराधों के लिये ''जीरो टॉलरेंस'' की नीति है। महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचना सुनिश्चित करने के लिये सभी जिलों में विशेष विवेचना दल बनाये गये हैं।

मेरी सरकार ने डायल 100 तथा सीसीटीवी सर्विलेंस की व्यवस्था का विस्तार किया है। अपराध एवं अपराधियों पर बेहतर नियंयण के लिये उपलब्ध तकनीकों-सीसीटीएनएस, सीसीटीव्ही तथा डायल-100 को एकीकृत किया जायेगा। जनता को शीघ्र से शीघ्र पुलिस सहायता पहुँचाने के लिए डायल-100 का मोबाईल-एप भी लांच किया गया है। ''फेस रिकॉग्निशन'' तथा ''व्हीकल डिटेक्शन'' तकनीकों का इस्तेमाल अपराध नियंत्रण में किया जायेगा।

मेरी सरकार जेलों के प्रबंधन एवं सुरक्षा में उन्नत तकनीकी का उपयोग कर रही है। ''ई-प्रिजन्स'' परियोजना में सभी कैदियों का डेटाबैस तैयार किया जा रहा है।

मेरी सरकार प्रदेश में वायु सेवाओं के विस्तार के लिये प्रयासरत है। भोपाल से देश के विभिन्न स्थानों के लिए कई उड़ानें शुरु हुई हैं। सरकार इन्दौर एयरपोर्ट को ''कस्टम नोटिफाइड'' करवाने में सफल रही है। भोपाल एयरपोर्ट को यह दर्जा दिलाने के प्रयास किये जा रहे हैं। इंदौर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ाने प्रारंभ हो गई है। इन्दौर में एयर कार्गो सेवा शुरु हो गई है। भोपाल में भी शीघ्र ही यह सेवा उपलब्ध होगी।

मेरी सरकार पत्रकार कल्याण के क्षेत्र में भी कार्य कर रही है। भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का सर्वसुविधायुक्त मीडिया सेन्टर के निर्माण की योजना है। इसके लिये भूमि प्राप्त हो गई है। सरकार ने पत्रकारों की सम्मान निधि 7 हजार रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 10 हजार रुपये की है। पत्रकारों को बीमारी में उपचार और दुर्घटना में मृत्यु पर आर्थिक सहायता के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा योजना लागू की गई है।

मेरी सरकार ने आवासहीन अधिमान्य पत्रकारों को 25 लाख तक के आवास ऋण पर 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान 5 वर्ष तक देने की योजना के क्रियान्वयन का निर्णय लिया है।

मेरी सरकार ने पिछले एक वर्ष में प्रदेश के बहुआयामी विकास की तेज कोशिशें की हैं। सरकार ने अपने वचन-पत्र के वचनों की पूर्ति के लिये संकल्पित होकर कार्य किया है। साथ ही सरकार ने विजन टू डिलीवरी-2025 रोडमैप बनाकर अगले पाँच वर्ष की अपनी प्राथमिकताएँ चिन्हित कर उस पर कार्य भी शुरु कर दिया है। मुझे विश्वास है कि वचन-पत्र और रोडमैप पर अमल कर मेरी सरकार प्रदेश की एक नई प्रोफाइल बनाने में सफल होगी।

जय हिन्द, धन्यवाद।

अध्यक्ष जी, मैं सभी माननीय सदस्यों को शुभकामनाओं के साथ यह सलाह देना चाहता हूं कि प्रदेश की जो स्थिति है, उसमें जिसका-जिसका अपना दायित्व है, वह शांतिपूर्ण तरीके से निष्ठापूर्वक और संविधान के द्वारा निर्देशित परम्पराओं के अलावा नियमों का भी पालन करें, ताकि मध्यप्रदेश का जो गौरव है, लोकतांत्रिक परम्पराएं हैं, उनकी रक्षा हो सके. मैंने आपको यह सलाह देने के लिये कहा है.

अध्यक्ष महोदय -- धन्यवाद.

11.20 बजे **(राज्यपाल महोदय ने चल समारोह के साथ सदन से प्रस्थान किया.)**

समय 11.23

अध्यक्ष महोदय -- राज्यपाल महोदय के द्वारा अभिभाषण का प्रथम एवं अंतिम पैरा ग्राफ सदन में पढा गया. शेष अभिभाषण पढ़ा हुआ माना जायेगा..(व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री गोपाल भार्गव) -- माननीय अध्यक्ष महोदय, 14 मार्च, 2020..(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय -- जो बोला जा रहा है यह किसी नियम प्रक्रिया में नहीं आता है इसलिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं.यह रिकार्ड में नहीं आयेगा.

श्री गोपाल भार्गव - (X X X)

राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव

श्री प्रवीण पाठक -- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि :-

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं ."

श्री कुणाल चौधरी -- अध्यक्ष महोदय, मैं, इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं.

अध्यक्ष महोदय -- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि --

" राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं ."

राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के लिए मैं, दिनांक 19 मार्च, 2020 का समय नियत करता हूं.

जो माननीय सदस्य कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव में संशोधन देना चाहते हों, वे आज दिनांक 16 मार्च, 2020 को सायंकाल 05.00 बजे तक विधान सभा सचिवालय में दे सकते हैं.

11.25 बजे विधान सभा की सदस्यता से त्याग-पत्र

अध्यक्ष महोदय - निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 19- डबरा (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्रीमती इमरती देवी, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 211- सांवेर (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, श्री तुलसीराम सिलावट, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 37 - सुरखी से निर्वाचित सदस्य श्री गोविन्द सिंह राजपूत, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 28 - बमोरी से निर्वाचित सदस्य, श्री महेन्द्र सिंह सिसौदिया, निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 15 - ग्वालियर से निर्वाचित सदस्य, श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एवं निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 142 - सांची (अ.जा.) से निर्वाचित सदस्य, डॉ. प्रभुराम चौधरी द्वारा विधान सभा के अपने स्थान से त्याग-पत्र दे दिया गया है, जिसे मेरे द्वारा दिनांक 10 मार्च, 2020 से स्वीकृत किया गया है.

(व्यवधान)..

श्री गोपाल भार्गव - इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 174 सहपठित 175 (2) एवं मुझमें निहित अन्य संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं निम्नलिखित निर्देश देता हूं (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय -.. यह जो बोला जा रहा है किस नियम प्रक्रिया से बोला जा रहा है, मैंने परमिट नहीं किया है.

श्री गोपाल भार्गव - (XXX)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, सुन लें.

संसदीय कार्यमंत्री (डॉ. गोविन्द सिंह)- हमारे विधायकों को यहां लाकर शामिल करें. (व्यवधान)..

डॉ. नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, संवैधानिक संकट की ओर मध्यप्रदेश जा रहा है. यह बहुत गंभीर विषय है. आप संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं.

श्री गोपाल भार्गव - कहीं भी राज्यपाल महोदय के द्वारा दिये गये आदेशों को अमल नहीं किया जा रहा है. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - कृपापूर्वक बैठ जाइए, जो भी पत्राचार आपका हुआ है वह राज्यपाल महोदय से हुआ है, मेरी बात को समझिए. जो भी पत्राचार हुआ है विधान सभा में नहीं हुआ है.

(व्यवधान)..

श्री गोपाल भार्गव - विश्वास तो शासन के खिलाफ है.

XXX : आदेशानुसार रिकार्ड नहीं किया गया.

डॉ. नरोत्तम मिश्र - अध्यक्ष महोदय, हमारी सुन ले, हम यह कह रहे हैं.

अध्यक्ष महोदय - हम सुन लेंगे लेकिन जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, मैंने दो लाइन में अपनी बात पूरी कर दी जो आपका पत्राचार हुआ है, वह राज्यपाल महोदय से हुआ है, अध्यक्ष महोदय से नहीं हुआ है.

श्री गोपाल भार्गव - अध्यक्ष महोदय, आपको निर्देशित किया गया है (व्यवधान)..

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री जितु पटवारी) - निर्देशित क्या होता है?

वित्त मंत्री (श्री तरुण भनोत) - प्रदेश की जनता इनको देख रही है कि चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का प्रयास हो रहा है. (व्यवधान)..कोरोना वायरस फैल रहा है इसके बावजूद इनको राजनीति याद आ रही है, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इनको प्रदेश की आमजनता की चिंता नहीं है.(व्यवधान)..

लोक निर्माण मंत्री (श्री सज्जन सिंह वर्मा) - अध्यक्ष महोदय, यह विलोपित किया जाय. यह नियम विरुद्ध है.

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (डॉ. विजयलक्ष्मी साधौ) - अध्यक्ष महोदय, आसंदी को यह धमकी दे रहे हैं, आदेश दे रहे हैं. (व्यवधान)..

अध्यक्ष महोदय - विधानसभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित.

(11.29 बजे विधान सभा की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित की गई.)

11.35 बजे **विधान सभा पुनः समवेत हुई.**

अध्यक्ष महोदय {श्री नर्मदा प्रसाद प्रजापति } (एन.पी.) पीठासीन हुए.

संसदीय कार्य मंत्री(डॉ.गोविंद सिंह) अध्यक्ष महोदय, समूचे देश में कोरोना वायरस का विश्व व्यापी संकट है. महामारी का रूप ले चुका है. 123 से भी अधिक देशों में कोरोना वायरस फैल चुका है. (..व्यवधान..) विधान सभा स्थगित की जाये जब तक कोरोना वायरस है.

(उल्लेखनीय है कि आज सदन की बैठक के दौरान उपस्थित अनेक लोगों द्वारा मास्क पहने गये थे.)

(..व्यवधान..)

श्री शिवराज सिंह चौहान - ये सरकार अल्पमत में है. महामहिम राज्यपाल महोदय ने संविधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए माननीय मुख्यमंत्री को विश्वास मत हासिल करने का आदेश दिया है.(..व्यवधान..) पहले विश्वास मत लिया जाये. (..व्यवधान..)

11.36 बजे **अध्यक्षीय घोषणा**

अध्यक्ष महोदय - माननीय सदस्यगण, कोरोना वायरस की महामारी से हम सभी परिचित हैं. डब्लू.एच.ओ. सहित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसके दुष्प्रभाव पर चिंता व्याप्त है. भारत सरकार ने भी समय-समय पर इस संबंध में कई एडवायजरी जारी की हैं. और इसकी रोकथाम के लिये मध्यप्रदेश सरकार सहित देश के लगभग सभी राज्यों ने कदम उठाये हैं. आप सभी को यह विदित होगा कि इस महामारी के फैलाव को दृष्टिगत् रख राजस्थान, केरल, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एवं महाराष्ट्र राज्यों के विधान सभाओं के चालू सत्र स्थगित कर दिये गये हैं. स्वयं प्रधानमंत्री ने पहल कर कल सार्क देशों की वीडियो कांफ्रेंस कर इसे महामारी घोषित किया है. विधान सभा सत्र के चलते माननीय विधायकों और लोगों को समूह में रहने या एक दूसरे से मिलने से रोका भी नहीं जा सकता. माननीय सदस्यों के स्वास्थ्य, अन्य विधान सभाओं द्वारा उठाए गये एहतियाती कदम, भारत सरकार की जारी एडवायजरी एवं व्यापक जनहित को देखते हुए विधान सभा की कार्यवाही 26 मार्च,2020 तक के लिये स्थगित की जाती है.

पूर्वाह्न 11.37 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 26 मार्च,2020 (6 चैत्र, शक संवत् 1942) के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की गई.

भोपाल

दिनांक : 16 मार्च,2020

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव

मध्य प्रदेश विधान सभा